न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 192/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/344**
दायर दिनांक :– 15.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 06.10.2025**

1. पिराज खां पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
2. पीरोजी पत्नी नूरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
3. मेरखातु पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
4. मोहम्मद सरीफ पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान नि. नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
5. लतीबखां पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
6. शालेमोहम्मद पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. ईमामदीन पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान निवासी नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
2. सदीक मोहम्मद पुत्र निहालदीन जाति मुसलमान नि. नुरे की भुर्ज तह. बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 1 व 2

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 233 रकबा 32.5448 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नूरे की भुर्ज पटवार हल्का नूरे की भूर्ज तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 32.5448 में प्रार्थी संख्या 1 को 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 को 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 को 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या

06.10.25
अधिकारी
फलोदी)

4 को 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 को 1/12 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 को 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 को 660/4021 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2 को 2701/8042 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपुर्वक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण की अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े इत्यादि बनी हुई एवं उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज वगैरा डाल कर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 अपनी कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहते प्रार्थीगण को काश्त करने में तथा अन्य विकास कार्य करने में भयंकर समस्याओं का सामना करना पडता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 उपरोक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराधात होगा, जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खसरा नम्बर 233 रकबा 32.5448 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1- 2013(1) RRT 133
2- 2004(1) RRT 365
3- 2011-12 (Supp.) 217

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को

उपखण्ड अधिकारी
बाप (जिलोदी)

अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम नुरे की भुर्ज पटवार हल्का नुरे की भुर्ज तहसील बाप के खाता संख्या 179 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण अभिलिखित सह काश्तकार होने के कारण अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपभोग–उपयोग का अधिकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जवाब प्रार्थना, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बैक ऋण और हक व हिस्से की हदतक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

06.10.25

(सरवाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)